न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
103/2014	15.10.2014	13-11-2025

1. गुलाब पुत्री स्व0 झूत्या, माली निवासी बाढ मोहनपुर तहसील बामनवास
2. रामपती पुत्री स्व0 झूत्या, माली निवासी जाटबडौदा तह0 गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र सुकल, माली नि0रेती ढाणी (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
2. प्यारेलाल पुत्र रामकिशन, माली नि0रेती ढाणी (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
3. फूलसिंह पुत्र रामरतन, माली नि0रेती ढाणी (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
4. धनसिंह पुत्र रामरतन, माली नि0रेती ढाणी (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
5. खिलाडी पुत्र रामरतन, माली नि0रेती ढाणी (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
6. बाबूलाल पुत्र रामरतन, माली नि0रेती ढाणी (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
7. मुकेश पुत्र रामरतन, माली नि0रेती ढाणी (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
8. रामप्यारी बेवा रामरतन, माली नि0रेती ढाणी (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
30/2016	27.5.2016	

रामकिशन पुत्र सुकल, माली नि0रेती ढाणी (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी

——प्रार्थी

बनाम

1. फूलसिंह पुत्र रामरतन, माली नि0रेती ढाणी (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
2. धनसिंह पुत्र रामरतन, माली नि0रेती ढाणी (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
3. खिलाडी पुत्र रामरतन, माली नि0रेती ढाणी (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
4. बाबूलाल पुत्र रामरतन, माली नि0रेती ढाणी (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
5. मुकेश पुत्र रामरतन, माली नि0रेती ढाणी (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी
6. रामप्यारी बेवा रामरतन, माली नि0रेती ढाणी (विदरखा) तह0 गंगापुर सिटी

——अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र बाबत् रिसीवर

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट अप्रार्थी नं0 1, 2 की ओर से
श्री सत्यपाल सिंह, एडवोकेट अप्रार्थी नं0 3 ता 8 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:38 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर 103/2014 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण गुलाब वगैरा इस आशय का पेश किया है कि भूमि साबिक [illegible] 325, 337, 338, 341, 471, 302, 303, 471, 471/1, 472/2, 473/1, 473/2 कुल किता 12 जमाबंदी सं0 2003 के अनुसार प्रार्थीगण के पिता के नाम राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

रिकार्ड में दर्ज रही है। प्रथम सेटलमेंट के बाद उपरोक्त खसरा नम्बरों के नवीन ख0नं0 143 रकबा 14 बीघा व ख0नं0 148 रकबा 6 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 20 बीघा जमाबंदी सं0 2017 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं द्वितीय सेटलमेंट के बाद उपरोक्त आराजियात के वर्तमान ख0नं0 694 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 695 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 696 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 697 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 701 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 702 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 749 रकबा 2.90 है0, ख0नं0 756 रकबा 0.81 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 5.31 है0 जमाबंदी सं0 2069 से 2072 के अनुसार कायम किए गए हैं। उपरोक्त समस्त खसरा नम्बरान की खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता झूल्या के नाम जमाबंदी सं0 2003 के अनुसार दर्ज रही है। प्रार्थीगण के पारिवारिक सजरे के अनुसार बुद्या के पुत्र झूल्या रहा है। झूल्या के पुत्र रामरतन, पुत्री रामपती, गुलाब रहे हैं। इनमें पुत्र रामरतन की मृत्यु हो चुकी है। रामरतन के पुत्र फूलसिंह, धनसिंह, खिलाडी, बाबूलाल, मुकेश व पुत्री इमरती रहे हैं। प्रार्थीगण अपने पिता के जीवन काल में अपने विवाह से पूर्व और विवाह के बाद भी उपरोक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी भूमि में अपने पिता व भाई के साथ मिलकर कब्जे काश्त में रही है और उपज प्राप्त करती रही है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद पृथक खातेदारी के आधार पर प्रार्थीगण व उसके भाई रामरतन के नाम उपरोक्त खसरा नम्बरान के राजस्व रिकार्ड में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था। प्रार्थीगण के पिता झूल्या के जीवनकाल से ही अप्रार्थी संख्या 1 का पिता व अप्रार्थी संख्या 2 का दादा सुकल प्रार्थीगण के पिता के यहां मजदूरी का कार्य किया करता था । प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु का फायदा उठाकर सुकल ने अपने पुत्र रामकिशन को प्रार्थीगण के पिता झूल्या का पुत्र बताते हुए विरासत का नामान्तरकरण रामरतन पुत्र झूल्या हिस्सा 1/2 व रामकिशन पुत्र झूल्या हिस्सा 1/2 दर्ज करवा लिया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण या उसके परिवार में कभी किसी को नहीं रही। प्रस्तुत सजरे के अनुसार सुकल का पुत्र रामकिशन रहा है व रामकिशन के [illegible] प्यारेलाल व फोरन्ता रहे हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण के पिता [illegible] प्रकार का कोई सम्बन्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 2 [illegible] प्रार्थीगण के पिता की भूमि को हडपने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 का नाम [illegible]यंत्रपूर्वक झूल्या के पुत्र के रूप में राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवा दिया जबकि प्रार्थीगण का नाम स्व0 झूल्या की पुत्रियां होते हुए भी आज तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

अप्रार्थी संख्या 1 नामान्तरकरण के आधार पर दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि को दीगर जगह बेचने पर आमादा है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण दिनांक 25.9.2014 को जब अपने पैत्रक मकान पर अपने रिश्तेदारों से मिलने गई तब प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के षडयंत्र का पता चला। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उनके नाम गलत रूप से दर्ज भूमि को विक्रय नहीं करने हेतु कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने स्पष्ट रूप से कहा कि राजस्व रिकार्ड में हमारा नाम है और हमें उक्त आराजियात के 1/2 हिस्से को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। हमें भूमि विक्रय से कोई नहीं रोक सकता। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वादपत्र इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी ख0नं0 694 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 695 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 696 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 697 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 701 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 702 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 749 रकबा 2.90 है0, ख0नं0 756 रकबा 0.81 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 5.31 है0 स्थित ग्राम विदरखा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत ना तो स्वयं पैदा करें ना किसी दीगर से करावें एवं उक्त आराजियात के किसी भाग को ताफैसला किसी दीगर को रहन, वय नहीं करें एवं अप्रार्थी संख्या 9 को इस आशय से निर्देशित किया जावे किवह बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का फेरबदल ना करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 ने अपने जबाब एवं काउन्टर क्लेम में अंकित किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही पूर्वज की संतान हैं। जिनकी वंश वृक्षावली के अनुसार परशु उर्फ बुद्धया के पुत्र खेमा, झूल्या, रूपा, बालू, सुकल्या, ऊंकार्‌या हुए। इनमें खेमा, रूपा, बालू, ऊंकार्‌या लाऔलाद फौत हो गए। झूल्या के पुत्र [illegible] गुलाब है। सुकल्या के पुत्र रामकिशन है। सं0 2003 में भूमि [illegible] 337, 338, 341, 471, 302, 303, 472, 473/2 के [illegible] सं0 1984 में गांव की शामलात देह थी तथा [illegible] दर्ज थी। प्रार्थीगण का पिता झूल्या परशु उर्फ बुद्धया का बडा पुत्र था [illegible] परशु उर्फ बुद्धया के मरने के बाद बडा पुत्र होने के नाते शामलात देह जिसमें परशु उर्फ बुद्धया का हिस्सा था,

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

भूमि सुक्कल के बडा भाई झूल्या के नाम दर्ज हो गई। जयपुर टीनेन्सी एक्ट में विरासत बडे भाई के नाम ही दर्ज होती थी लेकिन भूमि पर परिवार के सभी सदस्यों का कब्जा माना जाता है। सुकल की मृत्यु के समय रामकिशन नाबालिग था। रामकिशन की परवरिश झूल्या ने ही अपने पुत्र की भांति की थी। झूल्या की नियत में कोई खोट नहीं था इसलिए उक्त भूमि रामरतन एवं रामकिशन हिस्सा बराबर 1/2 के नाम दर्ज कर दी लेकिन रेवेन्यु रेकार्ड में रामकिशन की बल्दियत सुकल दर्ज करने के बजाय झूल्या दर्ज कर दी। विवादित भूमि गांव की शामलात देह में आने से सुकल एवं झूल्या की पैत्रक आराजियात थी जिसमें सुकल व झूल्या का बराबर बराबर हिस्सा था। भूमि पर रामरतन एवं रामकिशन का हिस्सा बराबर 1/2 दर्ज था। इसकी जानकारी रामरतन को पूरी तरह से थी क्योंकि रामरतन एवं रामकिशन ने उक्त भूमि में चाह बनवाने हेतु बैंक आफ राजस्थान शाखा गंगापुर सिटी से सन् 1991 में ऋण प्राप्त किया था। ऋण पत्रावली में दोनों भाईयों ने अपने हस्ताक्षर किए थे लेकिन उस समय भी रामरतन ने रामकिशन के नाम हिस्सा 1/2 पर कोई आपत्ती नहीं की क्योंकि भूमि पैत्रक आराजी होने के कारण सुकल के नाम सही रूप से हिस्सा 1/2 दर्ज हुआ था। रामरतन के मरने के बाद रामरतन के पुत्र फूलसिंह, धनसिंह, खिलाडी, बाबूलाल, मुकेश तथा रामप्यारी बेवा रामरतन की नीयत खराब हो गई और उन्होने स्वयं ने दावा नहीं करके झूल्या की पुत्रियों गुलाब व रामपती से दावा पेश करवाया है। दावे में इनकी उम्र जानबूझकर दर्ज नहीं की गई है। गुलाब की उम्र इस समय करीब 65 साल व रामपती की उम्र करीब 70 साल है एवं इनकी शादी भी झूल्या ने अपने जीवनकाल में कर दी थी। प्रार्थीगण का विवादित भूमि से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है। विवादित भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गैरसायल के पिता का नाम झूल्या गलत दर्ज कर दिया है जिसे काउन्टर क्लेम [illegible] एवं दुरूस्ती इन्द्राज के जरिए गैरसायल दुरूस्त करवाने का [illegible] है। प्रार्थीगण के पिता झूल्या एवं अप्रार्थी संख्या 1 का पिता [illegible] थे जो परशु उर्फ बुद्धया की संतान थे। परशु उर्फ [illegible] जयपुर टीनेन्सी एक्ट के समय ही हो गया था एवं जयपुर टीनेन्सी एक्ट में [illegible]सत बडे भाई के नाम दर्ज होती थी इसलिए विरासत बडे भाई झूल्या के नाम दर्ज हो गई। प्रार्थीगण द्वारा सुक्कल को झूल्या के यहां मजदूरी पर कार्य करना बताया है जो गलत है। प्रार्थीगण ने अधूरी वंशावली पेश की है, वंशावली में सुक्कल के पिता का नाम दर्ज नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

किया गया है क्योंकि सुक्कल के पिता का नाम परशु उर्फ बुद्धया था। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर टी0आई0 प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी नं0 1 व 2 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं अप्रार्थी संख्या 1 की काउन्टर टी0आई0 स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि ख0नं0 694 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 695 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 696 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 697 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 701 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 702 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 749 रकबा 2.90 है0, ख0नं0 756 रकबा 0.81 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 5.31 है0 ग्राम विदरखा में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा 1/2 में किसी प्रकार की बाधा कब्जे काश्त में पैदा नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें।

अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 8 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि ख0नं0 325, 337, 338, 341, 471, 302, 303, 471, 471/1, 472/2, 473/2 जमाबंदी सं0 2003 के अनुसार पैत्रक भूमि है जिसके नवीन ख0नं0 694 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 695 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 696 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 697 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 701 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 702 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 749 रकबा 2.90 है0, ख0नं0 756 रकबा 0.81 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 5.31 है0 कायम किए गए हैं। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम विदरखा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 8 की पैत्रक भूमि रही है। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सजरा मिन जबाबदार 3 लगायत 8 के स्व0 दादा झूल्या के मिन जबाबदार के स्व0 पिता रामरतन एकमात्र पुत्र व गुलाब व रामपती मात्र दो पुत्रियां रही है। इनके अतिरिक्त अन्य कोई संतान नहीं रही है। मिन जबाबदारान द्वारा गांव के बडे बुजुर्गो से मालुम करने पर ज्ञात हुआ है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता व अप्रार्थी संख्या 2 के दादा सुकल को मिनजबाबदारान के दादा द्वारा रहने के लिए आश्रय दिया गया था। अप्रार्थीगण के नाम किस आधार पर उपरोक्त खसरा नम्बरों की भूमि दर्ज हुई है इस सम्बन्ध में कोई [illegible] अस्तित्व में नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता सुकल द्वारा गलत तरी[illegible] स्वयं को झूल्या का पुत्र बताते हुए साज कर उपरोक्त खस[illegible] रिकार्ड में रामकिशन पुत्र झूल्या हिस्सा 1/2 दर्ज करवाया। [illegible] रिकार्ड के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा भूमि बैंक में रहन रख[illegible] ऋण लिया था जिसका भुगतान इनके द्वारा नहीं करने पर बैंक द्वारा मिन जबाबदारान को नोटिस दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

एवं तथ्य की जानकारी होने पर मिन जबाबदारान द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया गया जो वर्तमान में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी के यहां विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का इस भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। मिन जबाबदारान ही इस भूमि को काश्त करते आ रहे हैं। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2017, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल एकीकरण, फोटोकोपी नकल खतौनी बंदोवस्त सं0 2003, फोटोकोपी मृत्यु प्रमाण पत्र रामरतन पुत्र झूल्या माली, फोटोकोपी मतदाता सूची सन् 2014 भाग संख्या 155, फोटोकोपी मतदाता सूची सन् 2012 भाग संख्या 147 प्रस्तुत किए हैं।

जबाब एवं काउन्टर क्लेम के समर्थन में अप्रार्थी नं0 1 व 2 ने प्रमाणित फोटोकोपी जमाबंदी खतौनी सं0 2039, प्रमाणित फोटोकोपी मिलान क्षेत्रफल, प्रमाणित फोटोकोपी जमाबंदी सं0 2003 से 2022, प्रमाणित फोटोकोपी पर्चा मिलान, प्रमाणित फोटोकोपी मिसल हकीयत सं0 1984, प्रमाणित फोटोकोपी जमाबंदी सं0 2022 से 2025, वंश वृक्षावली, फोटोकोपी नकल मिसल हकीयत, फोटोकोपी नकल फर्द मिलान, फोटोकोपी वंश वृक्षावली परसु उर्फ बुद्धया, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2022 से 2025, फोटोकोपी खतौनी सं0 2039, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2045 से 2048, फोटोकोपी नकल खतौनी सं0 2017, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, फोटोकोपी नकल खतौनी बन्दोवस्त सं0 2003, फोटोकोपी नकल मिसल हकीयत सम्बत् 1984, फोटोकोपी नकल खसरा गिरदावरी सं0 2012 से 2015, फोटोकोपी नकल खसरा गिरदावरी सं0 2008 से 2011 प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र संख्या 30/2016 उनवानी रामकिशन बनाम फूलसिंह वगैरा प्रार्थी रामकिशन पुत्र सुक्कल जाति माली [illegible] रेती ढाणी विदरखा की ओर से बाबत् कायमी रिसीवर इस आशय [illegible] किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी [illegible] 0.25 है0, ख0नं0 695 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 696 [illegible] है0, ख0नं0 697 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 701 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 702 [illegible] 0.52 है0, ख0नं0 749 रकबा 2.90 है0, ख0नं0 756 रकबा 0.81 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 5.31 है0 ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (सवा0)

विदरखा में स्थित है जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने भूमि को पृथक पृथक रूप से बांट रखा है। अप्रार्थीगण झगडालू किस्म के गुण्डा प्रवृति के व्यक्ति हैं एवं ये ताकत के बल पर प्रार्थी के हिस्सा 122 की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर दिनांक 20.5.2016 को ट्रेक्टर से चाटी चला दी जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी ने थाने में दर्ज करवा दी है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा कर भूमि को वेस्ट एण्ड डैमेज करने पर आमादा हो रहे हैं। कभी भी अप्रार्थीगण प्रार्थी के परिवार के साथ घटना घटित कर सकते हैं। मौके पर शांति भंग होने का अंदेशा बना हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र रिसीवर पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि हाल ख0नं0 694, 695, 696, 697, 701, 702, 745, 756 स्थित ग्राम विदरखा को कब्जे राज में लिए जाने के आदेश प्रदान करें तथा फसल एवं काश्त की व्यवस्था कराई जावे।

अप्रार्थीगण ने इस रिसीवर प्रार्थना पत्र के जबाब में अंकित किया है कि हस्तगत प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि ख0नं0 694 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 695 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 696 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 697 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 701 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 702 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 749 रकबा 2.90 है0, ख0नं0 756 रकबा 0.81 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 5.31 है0 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो मौके की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में न्यायालय को मुगालते में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में उपरोक्त वर्णित समस्त खसरा नम्बरों की भूमि पर प्रार्थी या दीगर का पिछले करीब 50 सालों से कभी कोई कब्जा आज दिनांक तक नहीं रहा है। वर्णित समस्त खसरा नम्बरों की भूमि पर प्रारम्भ से ही अप्रार्थीगण का पूर्वजों और वर्तमान में अप्रार्थीगण का शांतिपूर्ण कब्जा कायम है और अप्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों की खातेदारी भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी द्वारा न्याय[illegible] की वास्तविक स्थिति को छिपाते हुए मूल वाद व प्रार्थना पत्र टी[illegible] हस्तगत प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ग[illegible]किए प्रार्थना पत्र टी0आई0 में सुनवाई का अवसर दि[illegible] न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति के लिए पा[illegible] किया गया था। अप्रार्थीगण ना तो रिकार्ड और ना ही मौके की वास्तविक स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया है। पूर्व की भांति अप्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित भूमि पर शांतिपूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (सवा०)

तरीके से काश्त करते चले आ रहे हैं और फसल से लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। वर्णित खसरा नम्बरान की एक इंच जमीन पर भी कभी प्रार्थी या दीगर का कभी कोई कब्जा नहीं रहा और ना ही वर्तमान में है। अप्रार्थीगण ही प्रारम्भ से आज तक उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की खातेदारी भूमि पर बतौर स्वामी काबिज है और काश्त कर लाभान्वित होते आ रहे हैं। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से किए गए नामो के इन्द्राज के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में हक का कथन करता है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायिक दृष्टान्तो में यह उल्लेखित किया गया कि मात्र जमाबंदी में नाम का इन्द्राज किसी व्यक्ति के सम्पत्ती के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी मात्र राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से नाम दर्ज होने के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता। प्रार्थी बदनियतीपूर्वक अप्रार्थीगण के साथ आये दिन कोई ना कोई बेजा हरकत कर अप्रार्थीगण को परेशान करता चला आ रहा है। जब प्रार्थी का एक इंच भूमि पर कभी कोई कब्जा आज तक नहीं रहा ऐसे में बिना कब्जे के प्रार्थी को कब्जे से बेदखल किए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण पृथक पृथक निवास करते हैं, पृथक पृथक खेती करते हैं, ख0नं0 702 रकबा 0.52 है0 के अतिरिक्त प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र रिसीवरी के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल आदेशिका दिनांक 6.7.2019 न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी, फोटोकोपी मतदाता सूची 2012 भाग संख्या 147, फोटोकोपी मतदाता सूची 2014 भाग संख्या 155, फोटोकोपी पंचनामा, फोटोकोपी पावती प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र रिसीवरी के जबाब के समर्थन में अप्रार्थीगण की ओर से फोटोकोपी नकल मिसल [illegible] सं0 [illegible] फोटोकोपी नकल फर्द मिलान , फोटोकोपी वंश वृक्षावली, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2022 से 2025, फोटोकोपी नकल खतौनी [illegible] फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2045 से 2048, फोटो[illegible] एकीकरण सं0 2017, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल एकीकरण, फो[illegible]कोपी नकल खतौनी बन्दोवस्त सं0 2003, फोटोकोपी नकल खसरा गिरदावरी सं0 2012 से 2015, फोटोकोपी नकल खसरा गिरदावरी सं0 2008 से 2011, फोटोकोपी नकल जामबंदी सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (सवा0)

2069 से 2072, फोटोकोपी नकल आदेशिका दिनांक 1.7.2015 से दिनांक 29.4.2016 मुकदमा उनवानी रामकिशन बनाम फूलसिंह वगैरा, न्यायालय उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी प्रस्तुत किए हैं।

उपरोक्त वर्णित दोनों प्रार्थना पत्रो में वादग्रस्त भूमि एवं पक्षकारान समान होने के कारण उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्र निर्णय हेतु एक साथ लिए गए हैं।

उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्रो में प्रार्थीगण गुलाब वगैरा को प्रार्थीगण एवं रामकिशन वगैरा को अप्रार्थीगण के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण गुलाब वगैरा के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता झूत्या की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। प्रार्थीगण के पिता के तीन वारिस रामरतन पुत्र, रामपती पुत्री व गुलाब पुत्री रहे हैं। प्रार्थीगण स्व0 झूत्या की पुत्रियां हैं एवं वारिस हैं। झूत्या की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का नामान्तरकरण झूत्या के पुत्र रामरतन व पुत्री रामपती व गुलाब के नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु नामान्तरकरण 1/2 हिस्सा रामरतन का 1/2 हिस्सा रामकिशन का दर्ज किया गया। प्रार्थीगण का नाम विरासत के नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। इसके अलावा रामकिशन का 1/2 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया। रामकिशन तो सुकल का पुत्र है एवं सुकल उस समय इन्दोर रहता था। पंचनामे के अनुसार भी रामकिशन अलग व्यक्ति है। पुलिस जांच में भी सूक्या व सुकल एक ही व्यक्ति माना गया है। मात्र खसरा गिरदावरी में नाम दर्ज हो जाने से किसी को खातेदारी नहीं दी जा सकती है। रामकिशन के नाम झूत्या की 1/2 हिस्से की भूमि गलत दर्ज की गई है। इस गलत इन्द्राज के आधार पर रामकिशन वादग्रस्त भूमि को बेचने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कि[illegible] पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे [illegible] योग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं क[illegible] किसी भाग को ताफैसला दावा किसी दीगर को [illegible]

अप्रार्थी नं0 1 व 2 के विद्वान अ[illegible]भाषक ने अपनी बहस में कहा है कि जो भूमि झूत्या के नाम आई थी वह [illegible] की शामलाती देह ख0नं0 171 रकबा 150 बीघा 15 बिस्वा के सम्बत् 2003 में बने नम्बरों 325, 337, 338, 341, 471,

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिका[illegible]
गंगापुर सिटी (राज0)

गुलाब वगैरा बनाम रामकिशन वगैरा, प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
रामकिशन बनाम फूलसिंह वगैरा, प्रा0पत्र बाबत् कायमी रिसीवर

302, 303, 472, 473/2 से आई है। इस भूमि पर सुकल का सन् 1945 से लगातार कब्जा चला आ रहा है । सन् 1945 में जयपुर टीनेन्सी एक्ट लागू था एवं इसकी धारा 12 व 13 के अनुसार विरासत बडे भाई के नाम ही होती थी। इसलिए भूमि झूत्या के नाम दर्ज हो गई। सम्बत् 2013 में भूमि रामरतन, रामकिशन के नाम 1/2, 1/2 दर्ज हो गई। दोनों ने मिलकर इस भूमि पर बैंक से ऋण लिया था। प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कराई गई धारा 420 आई0पी0सी0 की रिपोर्ट में थाने से एफ0आर0 लगा दी गई है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह दावा मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के विरूद्ध जबाब के साथ काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई है। लिखित बहस में अंकित किया गया है कि दोनों दावे बुआ–भतीजों ने किए हैं। पहला दावा गुलाब व रामपती पुत्रियां झूत्या की ओर से अप्रार्थी रामकिशन व उसके पुत्र प्यारेलाल तथा अपने भतीजों फूलसिंह वगैरा के विरूद्ध यह कहते हुए किया है कि उनके पिता झूत्या कीखातेदारी भूमि में रामकिशन पुत्र सुक्कल ने झूत्या का फर्जी पुत्र बनकर फर्जी रूप से अपने नाम हिस्सा 1/2 दर्ज करवा लिया है। दूसरा दावा फूलसिंह वगैरा ने किया है जिसमें इन्होने अंकित किया है कि रामकिशन पुत्र सुक्कल ने उनके बाबा झूत्या की खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा को झूत्या का पुत्र बनकर अपने नाम दर्ज करवा लिया है। इस दावे में फूलसिंह वगैरा ने झूत्या की पुत्रियों गुलाब व रामपती को पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि इनको पक्षकार बनाना आवश्यक था। अप्रार्थी रामकिशन ने अपने काउन्टर क्लेम में अंकित किया है कि झूत्या व सुक्कल दोनों सगे भाई थे जो बुद्धया की संतान थे। रामकिशन जब छोटा बच्चा था तो सुक्कल फौत हो गया। रामकिशन का पालन पोषण ताऊ झूत्या ने अपना बच्चा मानकर किया था तथा झूत्या के मरने के बाद झूत्या के सगे पुत्र रामरतन व रामकिशन के नाम विरासत सं0 2012 से 2015 की जमाबंदी [illegible] से दोनों हिस्सा बराबर 1/2–1/2 काश्त करते रहे हैं। दोनों [illegible] शामिल में कुआ भी खुदवाया था। रामरतन पुत्र [illegible] उसने अपने जीवन में कभी कोई आपत्ती नहीं की। [illegible] हिस्से की भूमि में करीब 50 वर्ष पूर्व पुख्ता मकान बना रखा है व मय प[illegible]र निवास कर रहा है। रामरतन के मरने के काफी सालों बाद उसके पुत्रों ने विवाद किया है। जो भूमि झूत्या के नाम आई थी वह गांव की शामलाती देह ख0नं0 171 के सं0 2003 में बने

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिका
गंगापुर सिटी (राज0)

नम्बरों से आई है तथा यह भूमि हिस्से अनुसार गांव के व्यक्तियो में जयपुर स्टेट के समय हिस्से में आई है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पहले से ही रामकिशन के पिता सुक्कल का कब्जा गिरदावरी सं0 2008 से 2011 में दर्ज है। सं0 2013 से लगातार खातेदारी हिस्सा 1/2 पर रामकिशन का नाम दर्ज है। झूल्या के पुत्र रामरतन व रामकिशन ने बैंक से ऋण लेकर विवादित भूमि में कुआ खुदवाया । रहन का फार्म नं0 6 उप पंजीयक के यहां रजिस्टर्ड हुआ है जिस पर रामरतन व रामकिशन के हस्ताक्षर हैं। अपने हिस्से में रामकिशन ने मकान बना रखा है लेकिन अब गुलाब, रामपती, फूलसिंह, धनसिंह, खिलाडी, बाबूलाल, मुकेश, रामकिशन पुत्र सुक्कल के हिस्सा 1/2 के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर रहे हैं इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए टी0आई0 प्रार्थना पत्र खारिज फरमाए जावें एवं अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर इन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। टीनेन्सी एक्ट राजस्थान में 15.10.1955 को लागू हुआ है। इससे पूर्व जयपुर टीनेन्सी एक्ट 1945 व जयपुर मातमी रूल्स 1945 लागू थे। चूंकि यह भूमि रियासत की भूमि थी तथा शामलात देह में दर्ज थी इसलिए जयपुर टीनेन्सी एक्ट की धारा 17 की उपधारा (1) में विरासत की टेबल दी गई है तथा मेल मेम्बर के मरने के बाद विरासत धारा 17 की उप धारा 3 के मुताबिक लागू होगी। इस प्रकार झूल्या परिवार का बडा सदस्य होने के कारण गांव की शामलात देह का बंटवारा होने पर शामलात देह में ख0नं0 171 में से बुद्धया के परिवार को जो हिस्सा मिला था झूल्या, बुद्धया का बडा पुत्र होने के कारण खातेदारी सं0 2003 में झूल्या के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई लेकिन झूल्या ने सं0 2008 मेंही अपने छोटे भाई सुक्कल जो रामकिशन का पिता था को आधा हिस्सा दे दिया जिसका अंकन गिरदावरी सं0 2008 से 2011 में दर्ज है। सभी नम्बरो में सुक्कल की 1/2 हिस्सा के कब्जे में व्यवधान पैदा नहीं करने के लिए गुलाब वगैरा व फूलसिंह वगैरा को पाबंद किया जाना आवश्यक है। अपने मौखिक कथन व लिखित बहस के दौरान अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने न्याय दृष्टान्त 2022(2) [illegible] (आरइवी)–983, 2018–19 आर0आर0टी0–531, 2017 [illegible] (आरइवी)–1541, 2002 आरआरडी–236 प्रस्तुत [illegible] अपने रिसीवर प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्याय दृष्टान्त डी0 एन0 जे0 (रेवे0) 2022(2) पेज 946, आर0आर0टी0 2003(2) पेज 1101, 1216, [illegible]र0आर0टी0 2005(2) पेज 947 प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि को रिसीवरी में लेने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (सवा0)

बहस पर मनन किया। उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत अभिलेख का एवं प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का अवलोकन किया।

अप्रार्थी रामकिशन ने प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ख0नं0 694, 695, 696, 697, 701, 702, 745, 756 ग्राम विदरखा को कब्जे राज में लेने का निवेदन किया है। भूमि को वेस्ट, डैमेज एवं एलीनिएट किए जाने की संभावना होने पर एवं भूमि इन मीडिओ होने पर ही भूमि कब्जे राज में लिया जाना चाहिए। यहां यह भूमि उभयपक्षकारों की सहखातेदारी में दर्ज है एवं इस पर उभयपक्षकारों का 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज होना स्वयं अप्रार्थी रामकिशन भी मानता है। किसी एक सहखातेदार द्वारा अपने कब्जे की भूमि को वेस्ट, डैमेज एवं एलीनिएट किए जाने की संभावना नही होती है एवं प्रकरण में भूमि को वेस्ट, डैमेज, एलीनिएट किए जाने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं हुआ है। वैसे भी सहखातेदारी की भूमि को कब्जे राज में लेना एक हार्डेस्ट रेमेडी है जिसे विशेष परिस्थिति में ही उपयोग करना चाहिए। यहां ऐसी कोई परिस्थिति एवं तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी रामकिशन द्वारा प्रस्तुत रिसीवर प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

प्रार्थीगण गुलाब, रामपती वगैरा द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा अप्रार्थी रामकिशन द्वारा गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवा लेने, वादग्रस्त भूमि उनके पिता झूत्या की खातेदारी की भूमि होने के कारण इसमें प्रार्थीगण का भी हिस्सा होने का तथ्य प्रार्थीगण ने अंकित किया है एवं वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में प्रार्थीगण को बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया गया है। इसके विपरीत अप्रार्थी रामकिशन ने वादग्रस्त भूमि उसके नाम सही प्रकार से दर्ज होने का उल्लेख करते हुए वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से, जो कि उसकी खातेदारी में दर्ज है के लिए प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है।

पत्रावली पर उपलबध अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में झूत्या की खातेदारी में दर्ज रही है जो बाद में रामकिशन हिस्सा 1/2, रामप्रसाद हिस्सा 1/2 के नाम [illegible] तथा रामप्रसाद के देहावसान के पश्चात् उसके वारिसों के नाम आई है। [illegible] रामकिशन के नाम सही दर्ज हुई है या गलत दर्ज हुई है [illegible] बाद में विस्तृत साक्ष्य, सबूतों के आधार पर होना [illegible] निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि पर प्रथम दृष्टया केस, सुवि[illegible] का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओं को देखा जाना है। वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा अप्रार्थी रामकिशन का व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी फूलसिंह वगैरा का दर्ज है अर्थात् भूमि सहखातेदारी में दर्ज है। सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

के प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है इसलिए एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फलस्वरूप अप्रार्थी रामकिशन द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

वादग्रस्त भूमि कभी भी प्रार्थीगण गुलाब व रामपती की खातेदारी में दर्ज नहीं रही है, वे भूमि झूल्या की खातेदारी भूमि होने व उनके झूल्या की पुत्रियां होने के आधार पर भूमि का घोषणां खातेदारी का वाद लेकर आई है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है इस बात का प्रार्थीगण ने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है एवं वादग्रस्त भूमि वर्तमान में 1/2 हिस्से की रामकिशन के नाम व 1/2 हिस्से की रामप्रसाद के वारिसों के नाम खातेदारी में दर्ज है। ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। चूंकि प्रार्थीगण मृतक झूल्या की पुत्रियां है तथा वादग्रस्त भूमि मृतक झूल्या की खातेदारी की भूमि होने के कारण वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा घोषित करवाने का वाद लेकर आई है इसलिए यह आवश्यक है कि मूल वाद में यदि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा घोषित होता है तो प्रार्थीगण के हितों की रक्षार्थ एवं पक्षकारों के मध्य मुकदमों की बहुलता रोकने के उद्देश्य से वादग्रस्त भूमि की उभयपक्ष मौका एवं रेकार्ड की स्थिति ताफैसला वादपत्र यथावत बनाए रखें जिसके लिए उभयपक्षकारान को ताफैसला वाद जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण गुलाब, रामपती द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 103/2014 एवं अप्रार्थी रामकिशन द्वारा प्रस्तुत रिसीवर प्रार्थना पत्र संख्या 30/2016 निर्णित किए जाते हैं एवं उभयपक्षकारान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय होने तक भूमि ख0नं0 694 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 695 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 696 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 697 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 701 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 702 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 749 रकबा 2.90 है0, ख0नं0 756 रकबा 0.81 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 5.31 है0 स्थित ग्राम विदरखा की मूल वाद [illegible] एवं रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

पत्रावली फैसलशुमार [illegible] एवं वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:38 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)